

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency
Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF
POLAR MARMO AGGLOMERATES LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	Polar Marmo Agglomerates Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	25/11/1987
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Rajasthan, Jaipur
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L14102RJ1987PLC007839
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	SP 1-3, Industrial Area, Pratap Nagar, Udaipur-313001, Rajasthan.
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	Order pronounced by the NCLT on 23.06.2022 for initiation of CIRP in case of Corporate Debtor and copy of the order uploaded on NCLT Website on 28.06.2022
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	20.12.2022 (180 Days from the Insolvency Commencement Date)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Hari Babu Sharma Reg. No. : IBBI/IPA-002/IP-N00767/2019-2020/12477
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: C 131, Kardhani Scheme, Kalwad Road, Jaipur 302012, Rajasthan. E-mail: hari54_sharma@rediffmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: C 131, Kardhani Scheme, Kalwad Road, Jaipur 302012, Rajasthan. E-mail: hari54_sharma@rediffmail.com
11.	Last date for submission of claims	12.07.2022
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es) - NA
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1.NA 2.NA 3.NA
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Weblink: http://ibbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: C 131, Kardhani Scheme, Kalwad Road, Jaipur 302012, Rajasthan.

Notice is hereby given that the **National Company Law Tribunal, Jaipur Bench** has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process of the **Polar Marmo Agglomerates Limited** on 23.06.2022 i.e. Insolvency commencement date. the copy of order was uploaded on 28.06.2022.

The creditors of **Polar Marmo Agglomerates Limited**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **12.07.2022** to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.


The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 30.06.2022

Place: Jaipur

Hari Babu Sharma
Interim Resolution Professional



शहर में ये रहे हालात



पुलिस वैन पर उतारा गुस्सा



कोर्ट के बाहर भीड़



कोर्ट के बाहर जाब्ता



गौन जुलूस में जवान तेनात



कपर्सू : धानमण्डी क्षेत्र



कपर्सू : बापू बाजार



सीएम के फ्लेक्स फाड़े



एमबी हॉस्पिटल पहुंचे सीएम

कन्हैयालाल हत्याकांड : न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए आरोपी, जेल भेजा

- पुलिस वाहन पर हमले का प्रयास
- पिछले गेट से वाहन निकाल दोनों को पहुंचाया जेल

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। टेलर कन्हैयालाल साहू की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को एटीएस ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन के लिए केंद्रीय कारागृह में भेज दिया गया। अब जेल में ही घटना के चरमवर्तक गवाहों से इनकी शिनाख्त करवाई जाएगी। न्यायालय में दोनों को पेश करने के दौरान परिसर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्र हो गए, जिन्होंने नारेबाजी की और पुलिस वाहन पर हमले का प्रयास किया, हालांकि पुलिस व स्पेशल कमांडो ने उन्हें दूर दिया और गिरवा तहसील वाले गेट से वाहन को निकालकर आरोपियों को जेल पहुंचाया। जेल प्रशासन ने दोनों को हाई सिक्योरिटी वाली बैरक में रखा है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन हत्याओं को जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड



कोर्ट में पेश करने लिए आरोपी



कोर्ट में

मांग सकती है। इधर, हत्यारों के आतंकी कनेक्शन को लेकर राजस्थान सरकार और एनआईए अलग-अलग दावे कर रही है।

घटना की जांच हाथ में लेने के बाद एनआईए ने दावा किया है कि फिलहाल हत्यारों का किसी आतंकी संगठन से लिंक सामने नहीं आया है, जबकि एक दिन पूर्व राजस्थान सरकार ने दावा किया था कि दोनों अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए थे।

जज ने पूछा- कैसे आई वोटें ?

न्यायाधीश ने जब आरोपियों से पूछा कि उन्हें ये वोट कैसे लगीं ? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हत्या करने के बाद भागते समय हादसे में वोट

शाम सवा पांच बजे पेश किया अदालत में

धानमंडी थाने में दर्ज मामले की जांच कर रहे एटीएस के एसपी अनंतकुमार की टीम विशेष कमांडो और पुलिस के कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच दोनों आरोपियों को लेकर शाम सवा पांच बजे में न्यायालय पहुंची। इसकी जानकारी मिलते ही न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्र हो गए, वहीं परिसर के बाहर भी आमजन मौजूद थे। न्यायालय में आरोपियों को पेश किया जा रहा था तो बाहर उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। सभी एक स्वर में यही मांग कर रहे थे कि इन आरोपियों को फांसी दे।

कंधों पर उठाकर ले जाया गया

लोमहर्षक घटना के मात्र साढ़े चार घंटे के बाद ही पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपियों को अज्ञात स्थान पर रखा गया था। इनके खिलाफ धानमंडी थाने में मंगलवार को प्रकरण दर्ज हुआ था। इन तीन दिनों में दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई थी। इसका नतीजा यह रहा कि दोनों से सही तरीके से चर्चा भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में जवान उन्हें उठाकर व कंधा देकर न्यायालय में लाए।

जेल ले जाते वाहन पर किया हमले का प्रयास

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश जारी किए और पुलिस उन्हें लेकर वाहन में बिठाने लगी, तभी कुछ अधिवक्ताओं का आक्रोश इतना उबल पर आ गया कि उन्होंने वाहन पर हमला किया एवं वाहन के आगे लेटने का प्रयास किया। इन अधिवक्ताओं को पुलिस ने दूर किया। जांच अधिकारी अनंतकुमार ने बताया कि दोनों को जेल भेज दिया गया है, जहां मामले में चरमवर्तक से इनकी शिनाख्तगी करवाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर जेल अधीक्षक राजेंद्रकुमार ने बताया कि दोनों को अन्य बंदियों से अलग हाई सुरक्षा वाली बैरक में रखा गया है।

मेवाड़ में पहले भी हुई दहला देने वाली तीन घटनाएं

- 6 दिसंबर 2017 को राजसमंद में हुआ था दहला देने वाला हत्याकांड

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। लेकसिटी जैसे शांत शहर में तीन दिन पूर्व भूतमहल के निकट टेलरिंग की दुकान में नाप देने के बहाने घुसकर टेलर की दिनदहाड़े बर्बरतापूर्वक हत्या से पूर्व भी मेवाड़ में तीन घटनाएं और ऐसी ही, जिन्होंने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश को हिलाकर रख दिया था। मेवाड़, विशेष रूप से झीलों की नगरी देश में शांतिपूर्ण शहर के रूप में ख्यात है। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, लेकिन यहाँ बीच-बीच में ऐसे मामले होते रहे हैं, जिन्होंने देश को दहला दिया। इसमें अफराजुल हत्याकांड, ऋषभदेव मंदिर विवाद और काकरी डूंगरी मामला शामिल हैं।

कन्हैयालाल हत्याकांड: वारदात का वीडियो बनाया

धानमंडी थाना क्षेत्र में गत 28 जुलू को टेलर कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। उसके मोबाइल पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा का डीपी लगी थी। इसी बात को लेकर कन्हैयालाल को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। वह पुलिस के पास भी पहुंचा भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन दो बदमाशों ने नाप देने के बहाने दुकान में घुस घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि बदमाशों ने 3 वीडियो जारी किए। एक में हत्या की धमकी, दूसरा हत्या का लाइव वीडियो और तीसरा हत्या की जिम्मेदारी।

ऋषभदेव उपादक: घरों में घुसकर हुई तोड़फोड़

वर्ष 2006 में तीर्थ स्थल ऋषभदेव में उपादक हुआ था। प्रसिद्ध ऋषभदेव मंदिर के विवाद को लेकर हुआ, जो करीब 6 दिन तक चला था। इसमें एक पक्ष से जुड़े लोग दूसरे के घरों में घुसे और तोड़फोड़ की, आगजनी हुई थी। स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई थी। एक बार तो पुलिस भी बैकफुट पर आ गई थी। कई लोगों को पुलिस सुरक्षा में घरों से बाहर निकाला था। फिर पुलिस ने हवाई फायरिंग की तब जाकर मामला शांत हुआ था।

उपादक, पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत

शिक्षक भर्ती के अनारक्षित पदों को एसटी अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर हजारों युवक डूंगरपुर जिले के काकरी डूंगरी इलाके में विरोध कर बैठे थे। मामला बढ़ा तो उन्होंने गुजरत हाईवे जाम कर दिया। घटनाक्रम की आग देखते ही देखते खेरवाड़ा कस्बे तक जा पहुंची। उपद्रवियों ने हाईवे पर खड़े वाहन सहित अन्य सामान से भरे ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस खुद जान बचाकर भागी। घरों और दुकानों में लूट और लोगों से मारपीट भी हुई। 4 दिन तक ऐसा ही माहौल चला, फिर अंतिम दिन स्थिति बिगड़ी तो पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत हुई और दो घायल हुए। इसके बाद मामले में शांति हुई।

हत्या का बनाया लाइव वीडियो

राजसमंद जिले में 6 दिसंबर 2017 के दिन दहला देने वाला हत्याकांड हुआ था। अतैव संबंधों को लेकर शंभु रेगार ने राजसमंद में मजदूरी करने वाले बंगाल के मोहम्मद अफराजुल को हत्या की थी। हत्या भी सामान्य नहीं थी। शंभु रेगार ने भांजे को मोबाइल दिया और हत्या करने का वीडियो बनाकर वायरल किया। शंभु ने अफराजुल पर धारदार हथियार से जार किए और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसने देशभर को चौंका दिया। इसके बाद उदयपुर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी जिसे पुलिस ने बमशिकल काबू किया था।

चीरवा में तोड़फोड़, 200 पुलिसकर्मी किए तैनात

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। शहर के समीप नाथद्वारा रोड स्थित चीरवा की टनल के पास एक धार्मिक स्थल पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद गुरुवार को जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी उसे सही करवाने पहुंचे तो स्थानीय युवाओं ने विरोध करते हुए कार्य नहीं करने दिया। बिगड़े माहौल के बाद वहां पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात करना पड़ा। पुलिस के मौके पर आने की सूचना के बाद कुछ ही समय में सैकड़ों की संख्या में वे एकत्र हो गए। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी स्तर में निर्माण नहीं करने देंगे। युवाओं ने इस दौरान पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। गुरुवार शाम तक युवा वहां अपनी मांग पर अड़े रहे। माहौल को शांत करने के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया है।



निम्बाहेड़ा

निम्बाहेड़ा-बस्सी रहे बंद, प्रतापगढ़ में हड़ताल आज

नवज्योति, चित्तौड़गढ़। उदयपुर में दिन दहाड़े एक व्यवसायी की हुई हत्या के बाद चित्तौड़गढ़ समेत पूरे राज्य में नेट बंदी के कारण लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में हालांकि पूरी तरह से शांति है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर नेट बंद होने से कई लोगों का कहना है कि जब कुछ सामान्य हैं तो ऐसे स्थानों पर नेटबंदी का कोई औचित्य नहीं है। कई छात्रों की ऑन लाइन क्लास भी इन दिनों चल रही है, लेकिन नेटबंदी के कारण उन्हें पढ़ाई का भी मुकाम उठाना पड़ रहा है।

बस्सी। घटना के विरोध में बस्सी में दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखा गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। उदयपुर में दिन दहाड़े एक व्यवसायी कन्हैया लाल साहू की हुई हत्या के विरोध में सर्व समाज की ओर से दोपहर 12 बजे तक कस्बा पूरी तरह से बंद रखा गया, जो सफल रहा।

निम्बाहेड़ा। सर्व हिन्दू समाज के आग्रह पर गुरुवार को व्यापारियों ने स्वेच्छापूर्वक संस्थान बंद रखकर विरोध प्रकट किया। प्रातःकाल से ही बाजारों में बाजारों में सन्नता छा गयी। आमजन ने स्वतः अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। चाय नाश्ता की दुकानें भी बंद रही। प्रत्येक की जुबान पर हत्याकांड की भर्त्सना हो रही थी। बाजारों में आवक जावक भी नहीं के बराबर थी। नगर के संवेदनशील क्षेत्र जावद दरवाजा, संज्जी मंडी, कैची चौराहा अनेक स्थानों पर पुलिस मुस्तैद थी।

गुरुवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छक बंद रखे गए। राशमी। उदयपुर हत्याकांड से अलट स्थानीय प्रशासन ने गुरुवार को पहना और उंचा गांव में फ्लेगमार्च निकाल लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। प्रतापगढ़। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्या काण्ड के विरोध में गुरुवार शाम 6 बजे स्थानीय किला परिसर से सकल हिन्दू समाज द्वारा शांति मार्च निकाला गया। कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या के विरोध में प्रतापगढ़ के व्यापारियों व सामाजिक संगठनों ने स्वेच्छक बंद रखने का निर्णय लिया है। बंद में आवश्यक सेवाएं शामिल नहीं रहेंगी। इधर, प्रतापगढ़ बंद को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस अलट मोड़ पर हैं। जिलेभर के सभी थानों पर विशेष कोताही बरती जा रही है। साथ ही पेट्रोलिंग बढ़ाकर निगरानी रखी जा रही है।

हिंसा मड़कने के १३ आरोपी गिरफ्तार

राजसमंद। भीम कस्बे में बुधवार को पुलिस और उपद्रवियों में हुई हिंसक झड़प मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आदमन अपराधी के तलवार के वार से गंभीर घायल हुए भीम थाने के कॉन्स्टेबल संदीप चौधरी का अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बुधवार को भीम में हिंदू संगठनों ने टैली निकालकर उपखंड अधिकारी को झापन सौंपा था। झापन के बाद जब हिंदू संगठनों के नेता और अन्य व्यक्ति रवाना हो गए तो क्षेत्र में पहाड़ियों पर हिपकर बैठे सामाजिक कंटक करने में दक्षिण हुए और उपद्रव करना शुरू कर दिया। यह अपराधी इलाके में सक्रिय गैंग्स के शांति अपराधी हैं, जिन पर अलग-अलग थानों में विभिन्न मामलों दर्ज हैं।

इस्लाम में ऐसी घटनाओं को कोई जगह नहीं : शिफा ट्रस्ट

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही शिफा ट्रस्ट ने कन्हैयालाल हत्याकांड की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस्लाम में कानून हाथ में लेकर इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम भाईचारे का संदेश देता है, ना कि किसी के कल का। यह इस्लाम विरुद्ध है। ट्रस्ट के सईद अहमद रंगवाला, सचिव डॉ. वसोम खान व अन्य पदाधिकारियों ने एक बयान जारी कर बताया कि उदयपुर हमेशा से शांतिप्रिय शहर रहा है एवं यहां सभी धर्म सम्प्रदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा शहर देश ही नहीं, विश्व पर्यटन का नगरी शहर है एवं इसको हम सभी बनाए रख सकते हैं। जब हमारा शांति एवं सौहार्द के साथ एक-दूसरे के साथ खड़ा रहेंगे। ट्रस्ट के सभी सदस्य आमजन से विनम्र अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार की भड़काऊ या धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पोस्ट या वीडियो को शेयर न करें तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

आम सूचना

मेरे व्यवहारी शांतिजाली जी साहू पुत्र श्री श्रीलाल साहू, निवासी नवदीप एकेडमी के पास कालका मारा रोड, पाण्डवा उदयपुर के जर्जरी हर आम घास को सूचित करता है कि मेरे व्यवहारी का पुत्र हेमेश साहू व उसकी पत्नी किशोरा साहू दोनों मेरे व्यवहारी के कहने में नहीं है तथा अपनी सम्पत्ति से स्वच्छन्द जीवन व्यतीत कर रहा है तथा मेरे व्यवहारी व उसके पुत्र से आने दिन लड़ाई झगड़ व गाली गलत व धमकियां देने हेतु कारण मेरा व्यवहारी अपने पुत्र व पुत्रवधु के अनुरोध व्यवहार एवं मूलतः अपराध से व्यक्ति होकर अपनी सम्पत्ति चला-अचल सम्पत्ति से इनके वेदखल इस आम सूचना के कर रहा है कोई भी व्यक्ति, रिश्तेदार मेरे व्यवहारी के पुत्र व पुत्रवधु से किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं करे। यदि कोई भी मेरे व्यवहारी व उसके पुत्र से संस्कार करता है तो उसके लिये पश्कार एवं उत्तरदायी रहेगा।
स्थान : उदयपुर, दि. 30-6-2022
रमेश सिंह राठोड़, एडवोकेट
चेम्बर नं. 66, जिला एवं सत्र न्यायालय, उदयपुर
मोबाइल नं. 9602665477

कानून व्यवस्था के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। शहर में घटित हत्याकांड के बाद सांप्रदायिक सद्भाव व कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने आदेश जारी कर प्रमुख स्थलों पर कानून व्यवस्था के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। इसके तहत निगम आयुक्त हिमन्त सिंह बारहठ टाउन हॉल के लिए, स्मार्ट सिटी के एसीईओ प्रदीप सिंह सांगतवत को बापू बाजार, टीएडी उपायुक्त कीर्ति राठोड़ को देहलीगेट, बड़गांव तहसीलदार सुरेंद्र विश्वाजी को कोर्ट चौराहा तथा वाणिज्यिक कर उपायुक्त अशोक कुमार व आरएसएमएमएल की सीनियर मैनेजर सुश्री तरु सुराणा को कलेक्ट्रेट के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF POLAR MARMO AGGLOMERATES LIMITED	
RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of Corporate Debtor	Polar Marmo Agglomerates Limited
2. Date of Incorporation of Corporate Debtor	25/11/1987
3. Authority under which Corporate debtor is incorporated/ registered	Registrar of Companies, Rajasthan, Jaipur
4. Corporate Identity Number/ Limited Liability Identification Number of Corporate Debtor	L14102RJ1987PLC007839
5. Address of the registered office & principal office (if any) of Corporate Debtor	SP-1-3, Industrial Area, Pratap Nagar, Udaipur-313001, Rajasthan.
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	Order pronounced by the NCLT on 23.06.2022 for initiation of CIRP in case of Corporate Debtor and copy of the order uploaded on NCLT Website on 28.06.2022
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	20.12.2022 (180 Days from the Insolvency Commencement Date)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Hari Babu Sharma Reg. No. : IBS/106702/IP-N00767/2019-2020/12477
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: C 131, Kardhani Scheme, Kalwad Road, Jaipur 302012, Rajasthan E-mail: hari54_sharma@rediffmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: C 131, Kardhani Scheme, Kalwad Road, Jaipur 302012, Rajasthan. E-mail: hari54_sharma@rediffmail.com
11. Last date for submission of claims	12.07.2022
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es) - NA
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1.NA 2.NA 3.NA
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives (are available at:	Web link: http://bbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: C 131, Kardhani Scheme, Kalwad Road, Jaipur 302012, Rajasthan.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Jaipur Bench has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process of the Polar Marmo Agglomerates Limited on 23.06.2022 i.e. Insolvency commencement date, the copy of order was uploaded on 28.06.2022. The creditors of Polar Marmo Agglomerates Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 12.07.2022 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalty.

Date: 30.06.2022
Place: Jaipur
Hari Babu Sharma (Interim Resolution Professional)
Reg. No. : IBS/106702/IP-N00767/2019-2020/12477